मध्यस्थता– त्वरित, सहभागी, सस्ता, सुलभ एवं विवादों के अन्तिम समाधान का उपक्रम

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ।

मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान उपकम के रूप में धारा 89 सिविल प्रकिया संहिता द्वारा विधिक मान्यता

1. उत्तर प्रदेश में कार्यरत् सभी 71 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में मध्यस्थता केन्द्र स्थापित एवं कियाशील हैं।
2. न्यायालयों में लम्बित उपयुक्त सिविल वादों को संबंधित न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों को संदर्भित किया जाता है।
3. व्यापार, वाणिज्य, संविदा, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद, कपटपूर्ण दायित्व/देयता, उपभोक्ता विवाद इत्यादि को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जा सकता है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सम्मानित निर्णयज विधि Afcons Infrastructure Ltd. And Anr. V. Cherian Varkey Construction Co. Pvt. Ltd. And Ors.में वैकल्पिक विवाद समाधान के सभी पहलुओं पर दिशा–निर्देश प्रतिपादित किये गये हैं।

मध्यस्थता के लाभ

1. पक्षकार नियंत्रित सहभागितापूर्ण एवं स्वैच्छिक विवाद समाधान प्रकिया।
2. त्वरित, प्रभावी एवं सस्ती प्रकिया।
3. लचीली, अनौपचारिक, स्नेहपूर्ण एवं उचित प्रकिया।
4. गोपनीयता की गारन्टी।
5. पक्षों के मध्य अनवरत मधुर संबंध।
6. मध्यस्थता के दौरान किये गये समझौते के विरूद्ध कोई अपील नहीं।
7. न्यायालय संदर्भित वाद के मध्यस्थता के आधार पर हुये निर्णय में न्यायालय शुल्क की वापसी।